झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0- 1056 वर्ष 2022

अनिल राम

.... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झा0 खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, धनबाद अपने प्रबंध निदेशक के माध्यम से।

2. प्रबंध निदेशक, झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, धनबाद।

3. सचिव, झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, धनबाद।

.... उत्तरदातागण

--- -

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री (डॉ0) एस0एन0 पाठक

याचिकाकर्ता के लिए:- श्री सोमेश्वर रॉय, अधिवक्ता
उत्तरदाताओं के लिए:- श्री महावीर प्र0 सिन्हा, अधिवक्ता

--- -

02/26.04.2022 ***याचिकाकर्ता,*** जो झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण (इसके बाद माडा के रूप में संदर्भित) का कर्मचारी था, दिनांक 23.05.2018 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। याचिकाकर्ता अपनी सेवानिवृति के बाद के लाभों और अन्य लाभों जैसा कि रिट याचिका के प्रार्थना भाग में उल्लेख किया गया है, जो याचिकाकर्ता माडा से प्राप्त करने का हकदार है, का दावा करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

याची के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि यह पर्याप्त होगा यदि प्रबंध निदेशक, माडा को याची के दावे पर निर्णय लेने और याची के अभ्यावेदन पर एक उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है और आगे प्रबंध निदेशक, माडा को निर्देश दिया जाए कि वह योजना के अनुसार याची के स्वीकृत बकायों का भुगतान करें।

दूसरी ओर, माडा की ओर से पेश होने वाले विद्वान वकील को कोई आपत्ति नहीं है, यदि प्रबंध निदेशक, माडा को याची के अभ्यावेदन का निपटान करने और योजना के अनुसार उसके सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के कारण याची को स्वीकृत देय राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

चाहे जो भी हो, पक्षकारों की प्रस्तुतियों पर गौर करने के बाद और इस मामले के गुण-दोष पर जाए बिना, मैं याचिकाकर्ता को इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर अपने सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ और विभिन्न शीर्षों के तहत अन्य लाभों का दावा करते हुए एक

विस्तृत अभ्यावेदन इस आदेश की एक प्रति के साथ प्रबंध निदेशक, माडा के समक्ष दायर करने का निर्देश देता हूँ। इस तरह का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, प्रबंध निदेशक, माडा द्वारा कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों और अन्य लाभों के भुगतान के लिए तैयार की गई योजना के संदर्भ में याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेंगे और छह सप्ताह की अवधि के भीतर एक तर्कसंगत आदेश पारित करेंगे। यदि कोई राशि देय पाई जाती है, तो उक्त राशि का भुगतान योजना के अनुसार तत्पश्चात दो सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को किया जाएगा।

यदि प्रत्यर्थियों द्वारा याचिकाकर्ता के दावे के किसी भी हिस्से को अस्वीकृत या विवादित किया जाता है, तो इस तरह के अस्वीकार के कारणों को कथित अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को सूचित किया जाना चाहिए।

उपरोक्त अवलोकन और निर्देश के साथ, रिट याचिका को निपटाया जाता है।

[(डॉ0) एस0एन0 पाठक, न्याया0]

कुणाल